## यू ग्रो कैपिटल लिमिटेड

चतुर्थ तल, टावर 3, इक्विनॉक्स बिजनेस पार्क, एलबीएस रोड,
कुर्ला, मुंबई 400070

### माँग सूचना

**वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ("अधिनियम") तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 ("नियमावली") के प्रावधानों के अंतर्गत**

अधोहस्ताक्षरकर्ता, अधिनियम के अंतर्गत यूग्रो कैपिटल लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, तथा अधिनियम की धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नियम 3 के साथ पठित, अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत माँग सूचना जारी करते हुए, निम्नलिखित उधारकर्ता(ओं) से उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर संबंधित सूचना(ओं) में उल्लिखित राशि चुकाने का आह्वान करते हैं। अधोहस्ताक्षरकर्ता का यह मानना है कि उधारकर्ता(गण) मांग सूचना/ओं की तामील से बच रहे हैं, इसलिए मांग सूचना की तामील नियमों के अनुसार चिपकाकर तथा प्रकाशित करके की जा रही है। मांग सूचना/ओं की विषय–वस्तु नीचे उद्धृत है :

| क्र.सं. | उधारकर्ता(ओं) के नाम | मांग सूचना की तिथि तथा राशि |
|---|---|---|
| 1. | 1) एम एस आर एफ एस ट्रेडिंग, 2) सफवाना मुनीम 3) उबैदुर रहमान लैन – AGHMS0000071925 | मांग सूचना तिथि : 7 अक्टूबर 2025 सूचना राशि : रु. 53,58,177.00/– 6 अक्टूबर 2025 के अनुसार |

**सुरक्षित परिसंपत्ति(यों) का विवरण :–** आवासीय फ्लैट संख्या बी–3, जो अबीर अपार्टमेंट, मोहल्ला हाथी डूबा, परगना और तहसील कोइल, जिला अलीगढ़, उत्तर प्रदेश में स्थित है, जिसका 129.13 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल है। सीमायें – बिक्री विलेख के अनुसार, उत्तर– भू तल पर 15 फीट चौड़ी सड़क, दक्षिण– नदीम बाबर का मकान, पूर्व– फ्लैट नं. बी–2 और लिफ्ट, पश्चिम– अनूप शर्मा की संपत्ति।

एतद्द्वारा उधारकर्ता(ओं) को सलाह दी जाती है कि वे मांग सूचना(ओं) का पालन करें तथा इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर उसमें तथा ऊपर उल्लिखित मांग राशि का भुगतान करें, साथ ही भुगतान की प्राप्ति की तिथि तक लागू ब्याज, विलंबित भुगतान दंड, बाउंस शुल्क, लागत तथा व्यय आदि का भुगतान करें। उधारकर्ता कृपया ध्यान दें कि यू ग्रो कैपिटल लिमिटेड एक सुरक्षित ऋणदाता है तथा उधारकर्ता द्वारा प्राप्त ऋण सुविधा, उधारकर्ता द्वारा यूजीआरओ कैपिटल लिमिटेड के पास गिरवी रखी गई अचल संपत्ति(यों) के विरुद्ध एक सुरक्षित ऋण है।

यदि उधारकर्ता निर्धारित समय के भीतर अपनी देनदारियों का पूर्ण रूप से भुगतान करने में विफल रहता है, तो यू ग्रो कैपिटल लिमिटेड, उधारकर्ता(यों) के ऋण खाते में बकाया राशि वसूलने के लिए सुरक्षित संपत्ति(यों) का कब्जा लेने के लिए अधिनियम की धारा 13(4) के तहत सभी अधिकारों का प्रयोग करने का हकदार होगा, जिसमें बिक्री के माध्यम से या अधिनियम तथा उसके तहत नियमों के तहत उपलब्ध किसी अन्य उपाय का उपयोग करके उसे हस्तांतरित करना शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है। यू ग्रो कैपिटल लिमिटेड को बिक्री या हस्तांतरण के अधिकार को लागू करने से पहले सुरक्षित संपत्ति(यों) को कुर्क करने तथा/या सील करने का भी अधिकार है। सुरक्षित परिसंपत्ति(यों) की बिक्री के बाद, यू ग्रो कैपिटल लिमिटेड को बकाया राशि की वसूली के लिए अलग से कानूनी कार्यवाही शुरू करने का भी अधिकार है, यदि सुरक्षित परिसंपत्ति(यों) का मूल्य उधारकर्ता(यों) द्वारा यू ग्रो कैपिटल लिमिटेड को देय बकाया राशि को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है।

यह उपाय यू ग्रो कैपिटल लिमिटेड को किसी भी अन्य कानून के तहत उपलब्ध सभी अन्य उपायों के अतिरिक्त तथा स्वतंत्र है।

उधारकर्ता(कों) का ध्यान सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13(8) तथा आगे अधिनियम की धारा 13(13) की तथा आकर्षित किया जाता है, जिसके तहत उधारकर्ता(कों) को यू ग्रो कैपिटल लिमिटेड की पूर्व लिखित सहमति के बिना सुरक्षित परिसंपत्तियों का निपटान या लेन–देन करने या बिक्री, पट्टे या अन्यथा (व्यावसायिक गतिविधि के अलावा) किसी भी सुरक्षित परिसंपत्ति को हस्तांतरित करने से प्रतिबंधित/निषिद्ध किया जाता है तथा उपरोक्त का पालन न करना अधिनियम की धारा 29 के तहत दंडनीय अपराध है। मांग सूचना(ओं) की प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास उपलब्ध है तथा उधारकर्ता(कों), यदि वे चाहें, तो अधोहस्ताक्षरकर्ता से इसे प्राप्त कर सकते हैं।

**स्थान : अलीगढ़, उत्तर प्रदेश** — **हस्ता./– (प्राधिकृत अधिकारी)**
**दिनाँक : 20/11/2025** — **कृते यू ग्रो कैपिटल लिमिटेड, authorized.officer@ugrocapital.com**

---

## प्रपत्र जी

### निम्नलिखित के लिए इच्छा की अभिव्यक्ति हेतु आमंत्रण

### 8 वीर केमिकल्स ग्रुप कंपनीज (विवरण यहां नीचे कॉलम सं. 1 में उपलब्ध है)

### समेकित/समूह सीआईआरपी से गुजर रही है, नई दिल्ली में रियल एस्टेट क्षेत्र में संचालित

### (भारतीय दिवाला और ऋण अशोधन बोर्ड (निगमित व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियम 36ए के उप-विनियम (1) के अधीन)

यह प्रपत्र जी **8 वीर केमिकल्स ग्रुप कंपनीज** *(वीर केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, हनी बिल्डर्स लिमिटेड, डॉल्फिन बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड, कॉनकॉर्ड बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड, लाइमलाइट रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड, क्रिमसन इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, सिम्फनी रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड एवं अंजनी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड)* के लिए जारी किया जा रहा है, जो दिवाला और ऋण अशोधन संहिता, 2016 के प्रावधानों के अनुसार समेकित/सामूहिक निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया (**'सीआईआरपी'**) से गुजर रही हैं और माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, नई दिल्ली बेंच द्वारा 18 जुलाई, 2025 को पारित समेकन आदेश के अनुसरण में, सीपी संख्या 81/एनडी/2025 में 20 अगस्त 2025 के आदेश के साथ पठित, **8 वीर केमिकल्स ग्रुप कंपनीज** के लिए समेकित समाधान योजना प्रस्तुत करने हेतु इच्छा की अभिव्यक्ति आमंत्रित करने के लिए जारी किया जा रहा है।

### प्रासंगिक विवरण

<table>
<tr><td>1.</td><td>निगमित कर्जदार के नाम के साथ पैन एवं सीआईएन/<s>एलएलपी</s> नं.</td><td colspan="2">8 निगमित कर्जदारों का विवरण, जो निम्नानुसार समेकित/सामूहिक सीआईआरपी से गुजर रहे हैं:
<table>
<tr><th>निगमित कर्जदार का नाम</th><th>पैन</th><th>सीआईएन</th></tr>
<tr><td>वीर केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड</td><td>AAACV0756B</td><td>U74899DL1989PLC037859</td></tr>
<tr><td>हनी बिल्डर्स लिमिटेड</td><td>AABCH3421Q</td><td>U45203DL2001PLC113154</td></tr>
<tr><td>डॉल्फिन बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड</td><td>AACCD1999E</td><td>U45201DL2005PTC137257</td></tr>
<tr><td>कॉनकॉर्ड बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड</td><td>AACCC7729F</td><td>U45201DL2004PTC130093</td></tr>
<tr><td>लाइमलाइट रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड</td><td>AABCL0375K</td><td>U45201DL2004PTC130519</td></tr>
<tr><td>क्रिमसन इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड</td><td>AACCC6243J</td><td>U45201DL2005PTC137256</td></tr>
<tr><td>सिम्फनी रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड</td><td>AAJCS6913Q</td><td>U70101DL2004PTC126802</td></tr>
<tr><td>अंजनी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड</td><td>AAFCA2771C</td><td>U45201DL2005PTC137254</td></tr>
</table>
(एक साथ "8 वीर केमिकल्स ग्रुप कंपनीज" के रूप में कहा गया है)</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>पंजीकृत कार्यालय का पता</td><td colspan="2">डी-109, पॉकेट डी, मयूर विहार, II फेज , ईस्ट दिल्ली, दिल्ली-110091</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>वेबसाइट का यूआरएल</td><td colspan="2">उपलब्ध नहीं</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>स्थान का विवरण जहां अधिकतम चल सम्पत्तियां अवस्थित है</td><td colspan="2">ग्राम मोहम्मदपुर गुज्जर तथा सोहना, गुड़गाँव, हरियाणा</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>मुख्य उत्पादों/सेवाओं की स्थापित क्षमता</td><td colspan="2">कृपया विस्तृत इच्छा की अभिव्यक्ति हेतु आमंत्रण ("आईईओआई") देखें, cirp.veerchemicals@gmail.com पर ईमेल भेज विवरण प्राप्त किए जा सकते हैं।</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>पिछले वित्त वर्ष में बिक्री किए गए मुख्य उत्पादों/सेवाओं की मात्रा तथा मूल्य</td><td colspan="2">लागू नहीं है</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>कर्मचारियों/कामगारों की सं.</td><td colspan="2">शून्य</td></tr>
<tr><td>8.</td><td>दो वर्षों के अंतिम उपलब्ध वित्तीय विवरण (अनुसूची के साथ) सहित आगे के विवरण, ऋणदाताओं की सूची यूआरएल पर उपलब्ध हैः</td><td colspan="2">cirp.veerchemicals@gmail.com पर ईमेल भेज विवरण प्राप्त किए जा सकते हैं।</td></tr>
<tr><td>9.</td><td>संहिता की धारा 25(2)(एच) के अधीन समाधान आवेदकों हेतु पात्रता यूआरएल पर उपलब्ध हैः</td><td colspan="2">समाधान आवेदकों को दिवाला एवं ऋण अशोधन संहिता, 2016 की धारा 29ए के अंतर्गत पात्र होने चाहिए। cirp.veerchemicals@gmail.com पर ईमेल भेज विवरण प्राप्त किए जा सकते हैं।</td></tr>
<tr><td>10.</td><td>इच्छा की अभिव्यक्ति प्राप्त करने की अंतिम तारीख</td><td colspan="2">20 दिसम्बर 2025*</td></tr>
<tr><td>11.</td><td>प्रत्याशित समाधान आवेदकों की अनंतिम सूची जारी करने की तारीख</td><td colspan="2">30 दिसम्बर 2025*</td></tr>
<tr><td>12.</td><td>अनंतिम सूची पर आपत्तियां जमा करने की अंतिम तारीख</td><td colspan="2">04 जनवरी 2026*</td></tr>
<tr><td>13.</td><td>प्रस्तावित समाधान आवेदकों की अंतिम सूची जारी करने की तारीख</td><td colspan="2">14 जनवरी 2026*</td></tr>
<tr><td>14.</td><td>सूचना ज्ञापन, मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा प्रत्याशित समाधान आवेदकों के लिए समाधान योजना हेतु अनुरोध जारी करने की तारीख</td><td colspan="2">19 जनवरी 2026*</td></tr>
<tr><td>15.</td><td>समाधान योजनाएं जमा करने की अंतिम तारीख</td><td colspan="2">18 फरवरी 2026*</td></tr>
<tr><td>16.</td><td>इच्छा की अभिव्यक्ति जमा करने हेतु प्रक्रिया ईमेल आईडी</td><td colspan="2">cirp.veerchemicals@gmail.com</td></tr>
<tr><td>17.</td><td>निगमित कर्जदार के एमएसएमई के रूप में पंजीकरण की स्थिति का विवरण</td><td colspan="2">उपलब्ध नहीं</td></tr>
</table>

***ये समय-सीमा सीआईआरपी को सम्पन्न करने के लिए माननीय एनसीएलटी द्वारा प्रदान किए जाने वाले विस्तार/अपवाद के अंतर्गत है तथा सीओसी द्वारा संशोधन के अधीन रहेंगी।***

हस्ता/-
**सपन मोहन गर्ग**
**समेकित/सामूहिक निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) से गुजर रही**
**8 वीर केमिकल्स ग्रुप कंपनीज**
**के समाधान पेशेवर**
**आईपी पंजीकरण सं.:** IBBI/IPA/-002/IP-N00315/2017-18/10903
**आईबीबीआई सहित पंजीकृत ईमेल आईडीः** sapan10@yahoo.com, **एएफए की वैधता दिनांक** 31-दिसंबर-2025 तक
**पता एवं संचार के लिए प्रयोग किया जाने वाला ई-मेलः** सी-621, छठवीं मंजिल, टावर सी, ईथम, प्लॉट सं. ए-40, सेक्टर 62, नोएडा, उप्र-201301, **ईमेल आईडीः** cirp.veerchemicals@gmail.com

**तारीखः 19.11.2025**
**स्थानः नोएडा**

---

## यूजीआरओ कैपिटल लिमिटेड

चतुर्थ तल, टॉवर 3, इक्विनॉक्स बिजनेस पार्क, एलबीएस रोड, कुर्ला, मुंबई–400070

### अधिग्रहण सूचना परिशिष्ट IV (नियम 8(1) देखें) (अचल संपत्ति हेतु)

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यूजीआरओ कैपिटल लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय चतुर्थ तल, टॉवर 3, इक्विनॉक्स बिजनेस पार्क, एलबीएस रोड, कुर्ला, मुंबई–400070 में स्थित है, के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का 54) के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, एक मांग सूचना निर्गत की थी जिसमें उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर सूचना में अंकित राशि तथा तथा इस पर नियत ब्याज का प्रतिभुगतान करने को कहा गया था।

ऋणकर्तागण निर्धारित बकाया राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतद्द्वारा ऋणकर्ताओं को एवं जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहां इसमें निम्न विवरणित संपत्ति का, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, निम्नांकित एवं उल्लेखित दिवस, माह एवं वर्ष को अधिग्रहण कर लिया है। ऋणकर्ताओं को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा सामान्यतय सावधान किया जाता है कि संपत्ति का लेन–देन न करें तथा संपत्ति का कोई व किसी भी प्रकार का लेन–देन, सूचना में अंकित राशि तथा राशि पर नियत ब्याज हेतु यूजीआरओ कैपिटल लिमिटेड के प्रभाराधीन होगा। ऋणकर्ता का ध्यान, प्रतिभूत परिसंपत्तियों के मोचनार्थ उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

| क्र. सं. | उधारकर्ता के विवरण | मांग सूचना | बंधक संपत्ति | अधिग्रहण तिथि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **1. न्यू सेवा हॉस्पिटल**<br>**2. अर्चना चौधरी**<br>**3. अरुण पाल चौधरी**<br>**4. मीरा देवी**<br>**5. हरि नारायण**<br>**ऋण खाता संख्या :**<br>**UGGKRMS0000061834** | मांग सूचना दिनांक 10/09/2025 रु. 28,97,133.00/– (रुपये अट्ठाईस लाख सत्तानबे हजार एक सौ तैंतीस मात्र) की राशि हेतु 08–सितंबर–2025 के अनुसार | भूमि संख्या 188एमआई. मौजा उस्का खुर्द टप्पा दखिन हवेली परगना मगहर पूरब तहसील खलीलाबाद जिला संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में स्थित आवासीय भूखंड, जिसका क्षेत्रफल 163.00 वर्ग मीटर है। सीमाएँः उत्तरः अन्य की भूमि, दक्षिणः सड़क, पूर्वः विशंभर और अन्य की भूमि, पश्चिमः हरिराम की भूमि। | **19.11.2025** |

**स्थान : उत्तर प्रदेश** — **हस्ता./– (प्राधिकृत अधिकारी)**
**दिनाँक : 20–11–2025** — **कृते यूजीआरओ कैपिटल लिमिटेड**

---

### दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के तहत आस्तियों की बिक्री

### ई–नीलामी बिक्री सूचना

### श्री बांके बिहारी एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (परिसमापनाधीन)

**परिसमापक : श्रीमती पूजा बाहरी (आईपी पंजीकरण संख्या : IBBI/IPA-003/IP-N00007/2016-2017/10063)**
**ईमेल : liquidation.shreebankeybehari@gmail.com, pujabahry@yahoo.com**
**नीलामी की तिथि एवं समय : 08 दिसंबर 2025 (सोमवार) मध्या. 12:00 बजे से 'अपराह्न'. 2:00 बजे तक**
**ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि : 05 दिसंबर 2025 (रात 11:59 बजे तक)**

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली ने संहिता की धारा 33 के तहत आदेश दिनांकित 13 मई 2025 द्वारा मैसर्स श्री बांके बिहारी एक्सपोर्ट्स लिमिटेड के परिसमापन का आदेश दिया था।
कार्पोरेट देनदार की निम्नलिखित आस्तियों की "जैसी है जहां है" जैसी है जो है", "जो है वहां है" और "कोई आश्रय नहीं" आधार पर बिक्री के लिए इच्छुक व्यक्तियों/प्रतिभागियों से बोलियां/प्रस्ताव ई–नीलामी प्लेटफॉर्म https://baanknet.com के माध्यम से ऑनलाइन प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किए जाते हैं। विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है :

अनुसूची

| लॉट संख्या | संपत्ति का विवरण | सुरक्षित मूल्य (रु.) | धरोहर राशि ("ईएमडी") रु. | बोली वृद्धि राशि रु. | ई–नीलामी तिथि और समय (प्रत्येक 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ) | ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | औद्योगिक भूखंड संख्या 2253–2257 में अवस्थित भूमि एवं भवन, जो सेक्टर 38 फेज II, एचएसआईआईडीसी इंडस्ट्रियल एस्टेट, फूड पार्क, राई, सोनीपत, हरियाणा में स्थित है, परिमाप 20,250 वर्ग मीटर | रु. 58.50 करोड़ (58,50,00,000) | 5,00,00,000 (रु. 5 करोड़) | 10,00,000 (रु. दस लाख) | **08 दिसंबर 2025** मध्या. 12:00 बजे से 'अपराह्न', 2:00 बजे तक (प्रत्येक 5 मिनट का असीमित विस्तार) | **05 दिसंबर 2025** |

**ई–नीलामी के नियम और शर्तें निम्नानुसार हैं –**

1. ई–नीलामी ई–नीलामी प्लेटफॉर्म **https://baanknet.com** के माध्यम से **"जैसी है जहां है" जैसी है जो है", "जो है वहां है"** आधार पर आयोजित की जाएगी।

2. **संभावित बोलीदाताओं को बैंकनेट नीलामी प्लेटफॉर्म (https://baanknet.com,https://ibbi.baanknet.com/eauction.ibbi/home)** पर पंजीकरण कराना होगा और इलेक्ट्रॉनिक नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता की धारा 29ए के तहत पात्रता की घोषणा सहित आवश्यक दस्तावेज सावधानीपूर्वक जमा करने होंगे। **(आस्ति आईडी 2274 / नीलामी आईडी 2169)**

3. कृपया ध्यान दें कि **संभावित बोलीदाताओं** को यह वचनपत्र जमा करना होगा कि वे संहिता की धारा 29ए के अंतर्गत किसी भी प्रकार की अपात्रता से ग्रस्त नहीं हैं और यदि किसी भी स्तर पर अपात्र पाए जाते हैं, तो जमा की गई धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी।

4. संभावित बोलीदाताओं को बैंकनेट नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से धरोहर राशि जमा करनी होगी। यह भी निर्दिष्ट किया जाता है कि यदि बोलीदाता किसी भी मानदंड के तहत अपात्र पाया जाता है, तो आईबीबीआई के परिपत्र संख्या आईबीबीआई/एलआईक्यू/84/2025 दिनांकित 28 मार्च, 2025 के अनुसार धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी।

5. कृपया ध्यान दें कि ईएमडी का भुगतान बैंकनेट पोर्टल के माध्यम से ई–वॉलेट में धनराशि डालकर और संबंधित नीलामी के लिए "पार्टिसिपेट" पर क्लिक करके किया जाना चाहिए। इच्छुक बोलीदाता को नीलामी पोर्टल में अपना यूजर आईडी और पासवर्ड बनाना होगा और अपनी धरोहर राशि पोर्टल के ई–वॉलेट में जमा करनी होगी। नीलामी पोर्टल से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए, BAANKNET (बैंक एसेट ऑक्शन नेटवर्क), ईमेल आईडी – **support.baanknet@psballiance.com** मोबाइल नंबर +91 8291220220, 9820878255, 9990605075 **uday.jadhav@psballiance.com, swani.sharma@psballiance.com** से सम्पर्क करें।

6. नीलामी प्रक्रिया के सभी दस्तावेज बैंकनेट पोर्टल पर अपलोड किए गए हैं और प्रतिभागियों को उन्हें डाउनलोड करके पोर्टल पर सभी दस्तावेज जमा करने होंगे।

7. बोलीदाताओं को अपनी बोली जमा करने से पहले, कम्पनी, आस्तियों, आकस्मिक लागतों, यदि कोई हो, के बारे में अपने खर्च पर स्वतंत्र रूप से पूछताछ करनी चाहिए और अपनी संतुष्टि करनी चाहिए।

8. सफल बोलीदाता इस ई–नीलामी के तहत बिक्री इकाई से संबंधित लागू स्टाम्प शुल्क, कानूनी लागत, हस्तांतरण प्रभार और शुल्क, जीएसटी और अन्य करों और दस्तावेजीकरण पूरा करने के लिए जिम्मेदार होगा। सफल बोलीदाता को नीलामी में रखी गई संपत्ति/आस्ति के संबंध में लागू स्टाम्प शुल्क/हस्तांतरण प्रभार, शुल्क आदि और सभी वैधानिक/गैर–वैधानिक बकाया, कर, उप–कर, मूल्यांकन प्रभार, शुल्क आदि का भुगतान करना होगा। संपत्ति/आस्ति पर देय और देय कोई भी वैधानिक और अन्य बकाया राशि लागू कानून के प्रावधानों के अनुसार क्रेता द्वारा वहन की जाएगी।

9. **आईबीबीआई (परिसमापन प्रक्रिया), विनियमावली, 2019 की अनुसूची । के पैराग्राफ 12 के अनुसार, नीलामी समाप्त होने पर, उच्चतम बोली लगाने वाले को ऐसी मांग की तिथि से 90 दिन के भीतर शेष बिक्री प्रतिफल जमा करने की मांग की जाएगी, परंतु शर्त यह है कि तीस दिन के बाद किए गए भुगतान पर 12% की दर से ब्याज लगेगा।** परंतु यह भी शर्त है कि यदि 90 दिन के भीतर भुगतान प्राप्त नहीं होता है तो बिक्री रद्द कर दी जाएगी [एससीसी ने निर्णय किया है कि शेष बिक्री प्रतिफल के भुगतान की समयावधि (जैसा कि अनुसूची– । के पैरा 1 के खंड (12) में व्यवस्था दी गई है), नब्बे दिन से आगे नहीं बढ़ाई जाएगी]।

आईबीबीआई (परिसमापन प्रक्रिया) विनियमावली की अनुसूची– । के अनुसार, उच्चतम बोली लगाने वाले की घोषणा के तीन दिन के भीतर, परिसमापक सम्यक सतर्कता जांच करेगा और उच्चतम बोली लगाने वाले की पात्रता का सत्यापन करेगा। विनियम 31ए के अंतर्गत परामर्श समिति से परामर्श के बाद, परिसमापक उच्चतम बोली लगाने वाले को सफल बोलीदाता घोषित करेगा अथवा ऐसी बोली को अस्वीकार कर देगा। यदि कोई बोलीदाता अयोग्य पाया जाता है, तो उसके द्वारा जमा की गई धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी। यदि उच्चतम बोलीदाता अयोग्य पाया जाता है, तो परिसमापक, परामर्श समिति के परामर्श से, आईबीबीआई (परिसमापन प्रक्रिया), विनियम की अनुसूची– । के खंड (12ए) से खंड (12ई) के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए, अगले उच्चतम बोलीदाता को सफल बोलीदाता घोषित कर सकता है।

पूरी राशि का भुगतान होने पर, बिक्री पूरी मानी जाएगी। परिसमापक ऐसी आस्तियां हस्तांतरित करने के लिए बिक्री प्रमाणपत्र या बिक्री विलेख निष्पादित करेगा और आस्तियां बिक्री की शर्तों में निर्दिष्ट तरीके से उसको सौंप दी जाएंगी।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि यह आमंत्रण संभावित बोलीदाताओं को आमंत्रित करने के लिए है और बिक्री को प्रभावी बनाने के लिए परिसमापक या कम्पनी की ओर से किसी प्रकार का बाध्यकारी दायित्व सृजित नहीं करता है। परिसमापक ई–नीलामी प्रक्रिया को रद्द या संशोधित करने और/या किसी भी इच्छुक पार्टी/संभावित निवेशक/बोलीदाता को बिना कोई कारण बताए और बिना किसी दायित्व के अस्वीकार करने तथा/अथवा अयोग्य घोषित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

11. उपरोक्त आस्तियों से संबंधित दस्तावेजों का निरीक्षण संभावित बोलीदाताओं द्वारा भेंट का समय पूर्व निर्धारित करते हुए श्रीमती पूजा बाहरी : **+91 9811071716** से सम्पर्क करके किया जा सकता है।

12. नीलामी के विवरण/नियमों और शर्तों के लिए कृपया सम्पूर्ण ई–नीलामी प्रक्रिया दस्तावेज/ई–नीलामी प्रक्रिया ज्ञापन देखें।

13. बिक्री दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016 और विनियमों के प्रावधानों के अधीन होगी।

**पूजा बाहरी**
परिसमापक : श्री बांके बिहारी एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (परिसमापन में)
आईपी पंजीकरण संख्या **IBBI/IPA-003/IP-N00007/2016-2017/10063**
एएफए नंबर एए3/10063/02/311225/301226 दिनांक 31/12/2025 तक वैध
59/27, प्रभात रोड, न्यू रोहतक रोड, नई दिल्ली–110005
फोन : 9811071716 ईमेल : **Liquidation.shreebankeybehari@gmail.com, pujabahry@yahoo.com**

तिथि : 20 नवंबर 2025
स्थान : दिल्ली

---

### फॉर्म संख्या आईएनसी–25ए

सार्वजनिक कंपनी को निजी लिमिटेड कंपनी में परिवर्तित करने के लिए
समाचार पत्र में प्रकाशित होने वाला विज्ञापन
क्षेत्रीय निदेशक, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष
कंपनी अधिनियम, 2013, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 और
कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 41 के मामले में
और

**मेसर्स मेडियल फार्मा लिमिटेड**, जिसका पंजीकृत कार्यालय प्लॉट संख्या–62, पॉकेट–जी, सेक्टर–4, बवाना डीएसआईडीसी, नई दिल्ली–110039 भारत में है, के मामले में, आवेदक एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कंपनी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 के साथ उपरोक्त नियमों के अंतर्गत केंद्र सरकार को आवेदन करने का इरादा रखती है और 15 नवंबर 2025 को आयोजित असाधारण आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार एक निजी लिमिटेड कंपनी में परिवर्तित होने की इच्छुक है ताकि कंपनी ऐसे रूपांतरण को प्रभावी कर सके।

कोई भी व्यक्ति जिसका हित कंपनी के प्रस्तावित परिवर्तन/स्थिति से प्रभावित होने की संभावना है, वह अपने हित की प्रकृति और विरोध के आधार बताते हुए एक हलफनामे के साथ अपनी आपत्ति संबंधित क्षेत्रीय निदेशक (बी–2 विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली–110003) को इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर, आवेदक कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में नीचे दिए गए पते पर एक प्रति सहित, वितरित कर सकता है या वितरित करवा सकता है या पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता हैः

**कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से**
**मेडियल फार्मा लिमिटेड**
**हस्ताक्षरित/–**
**पिंकी गोयल**
**निदेशक**
**डीआईएन संख्याः 06890625**

**दिनांकः 19.11.2025**
**स्थानः नई दिल्ली**

---

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

---

प्रपत्र–जी

## "मेसर्स केकेएसपीयूएन इंडिया लिमिटेड"

**राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में प्रीकास्ट कंक्रीट पाइप और फिटिंग के निर्माण में कार्यरत" के लिए रूचि की अभिव्यक्ति के लिए आमंत्रण**
**ख्भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियमन 36ए के उप-विनियमन (1) के तहत,**

### प्रासंगिक विवरण

<table>
<tr><td>1.</td><td>पैन और सीआईएन/एलएलपी नं. के साथ कॉर्पोरेट देनदार का नामः</td><td>मेसर्स केकेएसपीयूएन इंडिया लिमिटेड<br>सीआईएनः AACCK7334A,<br>पैन : U29199DL2006PLC144590</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>पंजीकृत कार्यालय का पताः</td><td>डीएसआईआईडीसी शेड संख्या 103, स्कीम–I, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज–II, नई दिल्ली–110020</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>वेबसाइट का यूआरएलः</td><td>https://www.kkspunpipes.com/<br>pre-cast-products-manufacturers-india.html</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>उस स्थान का विवरण जहां अधिकांश अचल संपत्तियां स्थित हैंः</td><td>1. दिल्ली स्थित पंजीकृत कार्यालय में<br>2. फरीदाबाद स्थित कॉर्पोरेट कार्यालय में<br>3. भिवाड़ी, राजस्थान स्थित फैक्ट्री इकाई में<br>4. कानपुर, उत्तर प्रदेश स्थित फैक्ट्री इकाई में<br>5. मैहर, मध्य प्रदेश स्थित फैक्ट्री इकाई में</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>मुख्य उत्पादों/सेवाओं की स्थापित क्षमता :</td><td>संयंत्र–वार स्थापित क्षमता
<table>
<tr><th>क्र.</th><th>संयंत्र/स्थान</th><th>प्रति 12 घंटे की पाली क्षमता (घन मीटर)</th><th>प्रति 24 घंटे की पाली क्षमता (घन मीटर)</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>भिवाड़ी</td><td>138</td><td>250</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>कानपुर</td><td>115</td><td>200</td></tr>
<tr><td></td><td>कुल</td><td>253</td><td>450</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>6.</td><td>पिछले वित्तीय वर्ष में बेचे गए मुख्य उत्पादों/सेवाओं की मात्रा और मूल्य</td><td>31.03.2024 तक कंपनी का कारोबार 164.54 करोड़ रुपये था।</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>कर्मचारियों/कामगारों की संख्या :</td><td>53 कर्मचारी 11.07.2025 तक 53 श्रमिक</td></tr>
<tr><td>8.</td><td>दो वर्षों के अंतिम उपलब्ध वित्तीय विवरण (अनुसूचियों के साथ), लेनदारों की सूची, अधिक विवरण यूआरएल उपलब्ध हैं:</td><td>लेनदारों की सूची निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध हैः<br>https://ibbi.gov.in/en/claims/front-claim-details/23164<br>अधिक जानकारी kkspunindia.cirp@gmail.com पर ईमेल करके प्राप्त की जा सकती है।</td></tr>
<tr><td>9.</td><td>संहिता की धारा 25(2)(एच) के तहत समाधान आवेदकों के लिए पात्रता यूआरएल पर उपलब्ध हैः</td><td>विवरण kkspunindia.cirp@gmail.com पर ईमेल करके प्राप्त किए जा सकते हैं।</td></tr>
<tr><td>10.</td><td>रुचि की अभिव्यक्ति प्राप्त करने की अंतिम तिथिः</td><td>05–12–2025</td></tr>
<tr><td>11.</td><td>संभावित समाधान आवेदकों की अनंतिम सूची जारी करने की तिथिः</td><td>15–12–2025</td></tr>
<tr><td>12.</td><td>अनंतिम सूची पर आपत्तियां जमा करने की अंतिम तिथिः</td><td>20–12–2025</td></tr>
<tr><td>13.</td><td>संभावित समाधान आवेदकों की अंतिम सूची जारी करने की तिथि</td><td>30–12–2025</td></tr>
<tr><td>14.</td><td>संभावित समाधान आवेदकों के लिए सूचना ज्ञापन जारी करने, मूल्यांकन मैट्रिक्स और समाधान योजनाओं के लिए अनुरोध की तिथि</td><td>04–01–2026</td></tr>
<tr><td>15.</td><td>समाधान योजनाओं को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि</td><td>03–02–2026</td></tr>
<tr><td>16.</td><td>अभिव्यक्ति हेतु आमंत्रण जमा करने के लिए प्रक्रिया ईमेल आईडी :</td><td>Kkspunindia.cirp@gmail.com</td></tr>
<tr><td>17.</td><td>कॉर्पोरेट देनदार की एमएसएमई के रूप में पंजीकरण स्थिति का विवरण</td><td>सीडी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (उद्यम पंजीकरण संख्या UDYAM-DL-09-0018676) के साथ पंजीकृत है।</td></tr>
</table>

**आईपी हरविंदर सिंह**
**आरपी – केके स्पन इंडिया लिमिटेड**
**पंजीकरण संख्या–** IBBI/IPA-001/IP-P00463/2017-18/10806
**एएफए 31.12.2026 तक मान्य**
**पंजीकृत पताः 11, सीएससी डीडीए मार्केट,ए ब्लॉक, सरस्वती विहार, नई दिल्ली– 110034**
**पंजीकृत मेलः** harvinder@akgandassociates.com
**पत्राचार के लिए ईमेलः** kkspunindia.cirp@gmail.com

**दिनांकः** 20.11.2025
**स्थानः नई दिल्ली**

---

**पंजीकृत एवं कॉर्पोरेट कार्यालयः यस बैंक हाउस, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के पास, सांताक्रूज पूर्व, मुंबई – 400055 भारत।**
**वेबसाइटः www.yesbank.in ईमेलः _comminications@yesbank.in सीआईएनः L65190MH2003PLC143249,**
**क्षेत्रीय कार्यालयः पांचवी मंजिल, मैक्स टावर, सेक्टर 16बी, नोएडा, उत्तर प्रदेश–201301**

### कब्जा सूचना (यू/एस नियम 8(1) के तहत - अचल संपत्ति के लिए)

वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत और सुरक्षा ब्याज (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधोहस्ताक्षरी यस बैंक लिमिटेड का प्राधिकृत अधिकारी होने के रूप मे मांग नोटिस जारी कर यहां उल्लिखित संबंधित उधारकर्ताओं से उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत संबंधित नोटिस में उल्लिखित राशि को 60 दिनों की अवधि के भीतर चुकाने का आह्वान किया है। संबंधित उधारकर्ता उक्त राशि चुकाने में विफल रहे हैं, इसलिए उधारकर्ताओं और आम जनता को नोटिस दिया जाता है कि नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने धारा 13(4) के तहत उक्त अधिनियम उक्त नियमों के नियम 9 के साथ प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्तियों पर प्रतीकात्मक कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से संबंधित उधारकर्ताओं और सामान्य रूप से जनता को चेतावनी दी जाती है कि वे उक्त संपत्तियों के साथ सौदा न करें और इन संपत्तियों के साथ कोई भी लेनदेन नीचे उल्लिखित संबंधित राशि के लिए यस बैंक लिमिटेड के अनुबंधित ब्याज सहित शुल्क के अधीन होगा।

| उधारकर्ता का नाम | सुरक्षित संपत्ति का विवरणः | धारा 13(2) के अंतर्गत नोटिस की तिथि/एनपीए की तिथि | नोटिस की राशि (रु.) | कब्जे की तिथि/उत्पाद एवं ऋण संख्या |
|---|---|---|---|---|
| (1) श्री माइकल लालनुनसांग ("उधारकर्ता एवं बंधककर्ता") श्री लालफकथांग के पुत्र, निवासी 6058/8, तीसरी मंजिल, पॉकेट–6, डी–6, वसंत कुंज, दिल्ली–110070<br>(2) श्रीमती लालरामनघक ("सह–उधारकर्ता") पत्नी श्री माइकल लालनुनसांग, निवासी 6058/8, तीसरी मंजिल, पॉकेट–6, डी–6, वसंत कुंज, दिल्ली–110070 | लीजहोल्ड आवासीय फ्लैट संख्या 4, ग्राउंड फ्लोर पर पाकेट नंबर 3, आवासीय योजना रोहिणी, सेक्टर 34, नई दिल्ली– 110087 में स्थित है। जो श्री माइकल लालनुनसांग के स्वामित्व में। | **01–मई 2025 /15–अप्रैल–2025** | रु. 9,67,770.23/– (रु. नौ लाख सड़सठ हजार सात सौ सत्तर तेईस पैसे मात्र) 17.04.2025 तक देय | 18–नवंबर–2025/ गृह ऋण सुविधा |

कृपया ध्यान दें कि अधिनियम की धारा 13(8) के अंतर्गत, यदि हमारे द्वारा वहन की गई सभी लागतों, शुल्कों और व्ययों सहित बकाया राशि सार्वजनिक नीलामी/बिक्री हेतु नोटिस के प्रकाशन की तिथि से पहले किसी भी समय प्रस्तुत की जाती है, तो बिक्री संपन्न नहीं होगी और सुरक्षित परिसंपत्ति को हमारे द्वारा बेचा या हस्तांतरित नहीं किया जाएगा, और उस सुरक्षित परिसंपत्ति के हस्तांतरण या बिक्री के लिए हमारे द्वारा कोई और कदम नहीं उठाया जाएगा।

**दिनांकः 20.11.2025, स्थानः नई दिल्ली** — **हस्ताक्षरकर्ता/– (प्राधिकृत अधिकारी) यस बैंक लिमिटेड**

---

## मोतीलाल ओसवाल होम फाइनेंस लिमिटेड

**पंजीकृत कार्यालयः** मोतीलाल ओसवाल टॉवर, रहीमतुल्लाह सयानी रोड, परेल स्ट्रीट
डिपा के सामने, प्रभादेवी, मुंबई–400 025, **सीआएसः** 8291889898
**वेबसाइटः** www.motilaloswalhf.com, **ईमेलः** hfquery@motilaloswal.com

**वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ("अधिनियम") और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 ("नियम") के प्रावधानों के अंतर्गत**

अधोहस्ताक्षरी, अधिनियम के तहत मोतीलाल ओसवाल होम फाइनेंस लिमिटेड (एमओएचएफएल) के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते और नियम 3 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिनियम की धारा 13(2) के तहत मांग सूचना जारी की है, जिसमें निम्नलिखित उधारकर्ता(ओं) से संबंधित सूचना में उल्लिखित राशि को उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर चुकाने का आह्वान किया गया है। अधोहस्ताक्षरी का उचित रूप से मानना घ्छहै कि उधारकर्ता/उधारकर्ता मांग नोटिस/सूचनाओं की तामील से बच रहे हैं, इसलिए नोटिस की तामील नियमों के अनुसार चिपकाकर और प्रकाशित करके की जा रही है। मांग सूचना(ओं) की विषय–वस्तु नीचे उद्धृत हैः

| क्र. सं. | ऋण अनुबंध संख्या/ऋणी/सह–ऋणी/सह–आवेदक का नाम/गारंटर का नाम | मांग सूचना की तिथि और बकाया | अचल संपत्ति का विवरण |
|---|---|---|---|
| 1. | **LXMOMAYURV5424–250782509/ऋणीः श्री राम सह–ऋणीः सुमन गौतम** | **11–11–2025/ रु. 6,36,185/–** छह लाख छत्तीस हजार एक सौ पचासी रुपए मात्र | ग्राम कड़कड़डूमा, गली संख्या–9, भीखम सिंह कॉलोनी, जिसे संत भीखम सिंह कॉलोनी के नाम से भी जाना जाता है, विश्वास नगर, इलाका शाहदरा, उत्तर पूर्वी दिल्ली, दिल्ली– 110032 में स्थित खसरा संख्या–500/2 में संपत्ति संख्या–32/28 (प्लॉट संख्या–28 और ब्लॉक संख्या–32),क्षेत्रफल 20.06 वर्ग मीटर यानी 24 वर्ग गज,जिसका आच्छादित/कुर्सी क्षेत्रफल 20.06 वर्ग मीटर के साथ भूतल, साझा छत, साझा मार्ग, सीढ़ियाँ और अविभाजित एवं अविभाज्य आनुपातिक भूमि का हिस्सा है, पूर्व–गली 20 फीट चौड़ी पश्चिम–श्री दीपक कुमार की संपत्ति उत्तर–शंकर लाल की संपत्ति दक्षिण– श्री राज कुमार की संपत्ति |

ऋणकर्ता(ओं) को एतद्द्वारा सलाह दी जाती है कि वे माँग सूचना(ओं) का अनुपालन करें और इसमें उल्लिखित माँग राशि और भुगतान की प्राप्ति की तिथि तक लागू ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, बाउंस शुल्क, लागत और व्यय सहित इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर भुगतान करें। उधारकर्ता कृपया ध्यान दें कि एमओएचएफएल एक सुरक्षित ऋणदाता है और उधारकर्ता द्वारा प्राप्त ऋण सुविधा उधारकर्ता द्वारा गिरवी रखी गई सुरक्षित संपत्ति/संपत्तियों के विरुद्ध एक सुरक्षित ऋण है।

यदि उधारकर्ता निर्धारित समय के भीतर अपनी देनदारियों का पूर्ण रूप से भुगतान करने में विफल रहता है,तो एमओएचएफएल अधिनियम की धारा 13(4) के तहत सुरक्षित संपत्ति(ओं) पर कब्जा लेने के लिए सभी अधिकारों का प्रयोग करने का हकदार होगा, जिसमें बिक्री के माध्यम से या अधिनियम और उसके नियमों के तहत उपलब्ध किसी अन्य उपाय का आह्वान करके उसे स्थानांतरित करना और भुगतान प्राप्त करना शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है। एमओएचएफएल को बिक्री या हस्तांतरण के अधिकार को लागू करने से पहले सुरक्षित संपत्ति(यों) को कुर्क करने और/या सील करने का भी अधिकार है। सुरक्षित संपत्ति(यों) की बिक्री के बाद, एमओएचएफएल को शेष राशि की वसूली के लिए अलग से कानूनी कार्यवाही शुरू करने का भी अधिकार है,यदि गिरवी रखी गई संपत्तियों का मूल्य एमओएचएफएल को देय बकाया राशि को कवर करने के लिए अपर्याप्त है। यह उपाय किसी अन्य कानून के तहत एमओएचएफएल को उपलब्ध सभी अन्य उपायों के अतिरिक्त और उनसे स्वतंत्र है।

ऋणी(यों) का ध्यान सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13(8) की ओर आकर्षित किया जाता है,और अधिनियम की धारा 13(13) की ओर भी ध्यान दिलाया जाता है, जिसके तहत ऋणी(यों) को एमओएचएफएल की पूर्व लिखित सहमति के बिना सुरक्षित परिसंपत्तियों का निपटान या लेन–देन करने या बिक्री, पट्टे या अन्यथा (व्यावसायिक गतिविधि के अलावा) किसी भी सुरक्षित परिसंपत्ति को स्थानांतरित करने से रोका/निषिद्ध किया जाता है और उपरोक्त का अनुपालन न करना उक्त अधिनियम की धारा 29 के तहत दंडनीय अपराध है। मांग नोटिस की प्रति अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध है और ऋणी(यों ) यदि चाहें तो इसे सामान्य कार्यालय समय के दौरान किसी भी कार्य दिवस में अधोहस्ताक्षरी से प्राप्त कर सकते हैं।

हस्ता./–
प्राधिकृत अधिकारी,
(मोतीलाल ओसवाल होम फाइनेंस लिमिटेड)

स्थानः दिल्ली
दिनांकः 20.11.2025

अनुवाद में त्रुटि या विसंगति होने पर अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।

---

## ट्रूहोम फाइनेंस लिमिटेड

**(पूर्वतः श्रीराम हाउसिंग फायनैंस लिमिटेड के नाम से प्रसिद्ध)**

### मांग सूचना

**पंजीकृत कार्यालय :** श्रीनिवास टावर, प्रथम तल, डोर नंबर 5, पुराना नंबर 11, द्वितीय लेन, सेनाटोफ रोड, अलवरपेट, तेनामपेट, चेन्नई–600018
**प्रधान कार्यालय :** लेवल–3, वॉकहार्ट टावर्स, ईस्ट विंग सी–2 ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई 400 051; वेबसाइट : www.truhomefinance.in

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित कर्जदार/रों ने ट्रूहोम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड) से प्राप्त ऋण सुविधाओं के मूलधन और ब्याज चुकाने में चूक की है और उक्त ऋण खाते अनार्जक आस्तियों (एनपीए) की श्रेणी में सूचीबद्ध किए जा चुके हैं। वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफासी ऐक्ट) की धारा 13(2) के तहत उनको उनके अंतिम ज्ञात पते पर मांग सूचना जारी की गई है। उक्त मांग सूचना के अतिरिक्त, उन्हें इस सार्वजनिक नोटिस के माध्यम से भी सूचित किया जा रहा है।

कर्जदारों, प्रतिभूतियों, बकाया राशि, धारा 13(2) के तहत प्रेषित मांग सूचनाओं और उनके तहत दावा की गई राशि का विवरण निम्नानुसार है :–

| कर्जदार/सह–कर्जदार का नाम और पता | प्रत्याभूत आस्तियों का सम्पत्ति पता | मांग सूचना की तिथि एवं बकाया राशि रू. में |
|---|---|---|
| **श्री मनमोहन गर्ग पुत्र श्री चुन्नी लाल**<br>**मकान संख्या डी6/147, सेक्टर–6, रोहिणी, उत्तर पश्चिम, दिल्ली–110085**<br>**अन्य पता :–प्लॉट नं.–30, नगर पालिका नं. 4798–99, वार्ड नं. 13, डिप्टी गंज, सदर बाजार, दिल्ली–110006.**<br>**श्रीमती इंदु गर्ग पत्नी श्री मनमोहन गर्ग**<br>**मकान संख्या ए–3/71, सेक्टर–5, रोहिणी, उत्तर पश्चिम, दिल्ली–110085**<br>**अन्य पता : मकान संख्या डी6/147, सेक्टर–6, रोहिणी, उत्तर पश्चिम, दिल्ली–110085**<br>**अन्य पता :–प्लॉट नं.–30, नगर पालिका नं. 4798–99, वार्ड नं. 13, डिप्टी गंज, सदर बाजार, दिल्ली–110006.**<br>**श्री रोहित गर्ग पुत्र श्री चुन्नी लाल**<br>**मकान नंबर 297/2, ब्रह्मा मंदिर के पास, बेगू रोड, पटेल बस्ती, सिरसा, हरियाणा–125055**<br>**अन्य पताः–प्लॉट नं.–30, नगर पालिका नं. 4798–99, वार्ड नं. 13, डिप्टी गंज, सदर बाजार, दिल्ली–110006.**<br>**मेसर्स एनआरस सस यूटिलिटीज प्राइवेट लिमिटेड**<br>**इसके स्वामी/भागीदार/प्रबंध निदेशक/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के माध्यम से**<br>**अन्य पताः जी.एच–4798–99/30, नया बाजार, सदर बाजार, दिल्ली–110006.**<br>**ऋण राशि : रु – 1,03,46,466/–**<br>**लैन. :– SLPHGPRK0002485**<br>**एनपीए तिथि – 03–नवंबर–2025.** | संपत्ति के सभी अंश एवं खंड : संपत्ति एमपीएल संख्या 4798–99, वार्ड संख्या 13, प्लॉट संख्या–30, प्रथम तल, बिना छत के अधिकार के, क्षेत्रफल 54.81 वर्ग गज, डिप्टी गंज, सदर बाजार, दिल्ली–110006 में स्थित और एमपीएल संख्या 4798–99, वार्ड संख्या 13, प्लॉट संख्या–30, द्वितीय एवं तृतीय तल, छत के अधिकार के साथ, क्षेत्रफल 42.28 वर्ग गज, प्रत्येक तल, डिप्टी गंज, सदर बाजार, दिल्ली–110006 में स्थित। सीमाः– पूर्वः– गली, पश्चिमः– गली, उत्तरः– दूसरे की संपत्ति, दक्षिणः– संपत्ति का हिस्सा | मांग सूचना तिथि– 11–नवंबर–2025<br>रूपये 1,12,33,326/– (रुपये एक करोड़ बारह लाख तैंतीस हजार तीन सौ छब्बीस मात्र) 10 नवंबर 2025 तक + अब तक उल्लिखित ब्याज और आकस्मिक व्यय, लागत आदि। |

अतः, आप, कर्जदारों से, ऊपर वर्णित पूरी बकाया राशि को भुगतान की प्राप्ति की तिथि तक भविष्य के ब्याज और दंडात्मक ब्याज भी, जो देय हो सकता है, इस सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर, चुकाने की मांग की जाती है। ऐसा नहीं करने पर, अधोहस्ताक्षरी उपर्युक्त प्रतिभूतियों के प्रवर्तन के लिए सरफासी ऐक्ट के तहत कार्रवाई करने के लिए विवश होगा। कृपया ध्यान दें कि उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार, आपको हमारी सहमति के बिना उपर्युक्त प्रतिभूतियों को बिक्री, पट्टे या अन्यथा किसी भी प्रकार से हस्तांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है।

स्थान : दिल्ली — हस्ता./– प्राधिकृत अधिकारी– ट्रूहोम फाइनेंस लिमिटेड
दिनांक : 20–11–2025 — (पहले श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से प्रसिद्ध)

---

## गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

(पूर्व में पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड)

पंजीकृत कार्यालयः 6वीं मंजिल, बी बिल्डिंग, गंगा ट्रूनो, लोहेगांव, पुणे, महाराष्ट्र 411014
शाखा का पताः प्रथम तल, सत्या बिजनेस पार्क, 1, नवल किशोर रोड, हजरतगंज, लखनऊ, पिन– 226001

**ई-नीलामी-बिक्री सूचना**
**सरफेसी ऐक्ट के तहत**
**सुरक्षित अचल आस्ति की बिक्री**

**वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ("अधिनियम") के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 और 9 के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई–नीलामी बिक्री सूचना**

एतद्द्वारा सर्व साधारण को तथा विशेष रूप से कर्जदार/सह–कर्जदार/बंधकदाता(ओं)/गारंटर(रों) को सूचना दी जाती है कि अधोवर्णित अचल सम्पत्तियां गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पूर्वतः पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से ज्ञात जबकि पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड 17 नवम्बर, 2023 के प्रभाव से गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड हो गया है) (जो पहले मैग्मा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी और मूलतः जीई मनी हाउसिंग फाइनेंस पब्लिक अनलिमिटेड कम्पनी के नाम से निगमित की गई थी) (इसमें आगे अधिनियम के अनुसार "प्रतिभूत लेनदार" कही गई है) के पक्ष में बंधक रखी गई थी। उक्त सम्पत्तियों का कब्जा प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी ने अधिनियम की धारा 13(2) के तहत सूचना के अनुसार प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ले लिया है।

प्रतिभूत आस्तियां "जैसी है जहां है", "जैसी है जो है" तथा "जो भी है वहां है" आधार" पर दिनांक 06.12.2025 को ई–नीलामी के माध्यम से बेची जाएगी। एतद्द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि हम सार्वजनिक नीलामी का संचालन वेबसाइट **https://www.bankeauctiona.com** पर उपलब्ध कराए गए ई–नीलामी प्लेटफार्म के माध्यम से करेंगे। बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए, कृपया जीएचएफएल/प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट नामतः **www.grihumhousing.com** देखें।

| क्र. सं. | प्रस्ताव सं. ग्राहक का नाम (ए) | माँग सूचना की तिथि और बकाया राशि (बी) | कब्जे का प्रकार (सी) | सम्पत्ति का विवरण (डी) | सुरक्षित मूल्य (ई) | ईएमडी (आरपी की 10 प्रतिशत) (एफ) | ईएमडी जमा करने की तिथि (जी) | बोली वृद्धि (एच) | सम्पत्ति निरीक्षण की तिथि एवं समय (आई) | नीलामी की तिथि एवं समय (जे) | ज्ञात ऋणभार/न्यायालय वाद, यदि कोई (के) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **ऋण संख्या HI00044100000005010817 इरशाद अली, नगीना** | नोटिस दिनांकः 09.12.2024 कुल बकायाः रु. 15,86,379/– (रु. पंद्रह लाख छियासी हजार तीन सौ उनासी मात्र) 09.12.2024 तक देय, साथ ही वसूली तक @14.75% प्रति वर्ष ब्याज भी देय | भौतिक | सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि आराजी संख्या 47/1मी. का भाग, मौजा–सकराना तिवारी, परगना–अरैल, तहसील– करछना, प्रयागराज, क्षेत्रफल 1076.0 वर्ग फुट या 100.43 वर्ग मी. निष्पादित विक्रय विलेख में विशेष रूप से उल्लेखित, निम्नानुसार सीमाएं – पूर्वः– अन्य का प्लॉट, पश्चिम– नवीन का प्लॉट, उत्तर– 15 फिट रोड, दक्षिण– अन्य का प्लॉट | रु. 9,00,000/– (रु. नौ लाख मात्र) | रु. 90,000/– (रु. नब्बे हजार मात्र) | 28.11.2025 अप. 05 बजे से पूर्व | 10,000/– | 25.11.2025 (पूर्वा. 11 बजे अप. 4 बजे) | 06.12.2025 (पूर्वा. 11 बजे अप. 2 बजे) | शून्य |

**इच्छुक बोलीदाताओं/क्रेताओं को बोली जमा करने से पहले प्रतिभूत लेनदार की शाखा आने और स्वयं जांच संचालित करने तथा अतिरिक्त प्रभार, ऋणभार तथा तृतीय पक्ष हित अभिनिश्चित करने तथा सभी संदर्भों में अपनी संतुष्टि करने की सलाह दी जाती है। सम्पत्ति के साथ संबद्ध सभी सांविधिक देयताएं जैसेकि सम्पत्ति कर, बिजली/पानी बकाया तथा अन्य बकाया, यदि कोई, सफल बोलीदाता द्वारा अभिनिश्चित और अदा किए जाएंगे।**

इच्छुक बोलीदाताओं को ई–बिडिंग के लिए पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवाना और नीलामी सेवा प्रदाता सी1 इंडिया प्रा. लि. पता – प्लॉट नं. 68, तृतीय तल, गुरुग्राम, हरियाणा–122003, हेल्पलाइन नं. – 7291981124, 25, 26 सपोर्ट ई–मेल आईडी Support@bankeauctions.com सम्पर्क व्यक्ति धरनी पी ई–मेल आईडी dharani.p@c1india.com सम्पर्क नंबर – 9948182222 से लॉगइन आईडी और पासवर्ड पर्याप्त अग्रिम में प्राप्त करना होगा, जो ई–बिडिंग के लिए अनिवार्य है। कृपया नोट करें कि प्रत्याशी बोलीदाता ई–नीलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण केवल उनसे प्राप्त कर सकते हैं। इच्छुक बोलीदाताओं/क्रेताओं को धरोहर राशि जमा (ईएमडी) किसी राष्ट्रीयकृत अथवा अनुसूचित बैंक पर आहरित एनईएफटी/आरटीजीएस/डीडी द्वारा "गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड" के खाते में बैंक–आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, खाता संख्या : 091551000028 तथा IFSC कोड ICIC0000915 आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, पंचशील टेक पार्क, गणपति चौक के पास, 43/44 विमान नगर – 411014 में 28.11.2025 को अथवा पूर्व जमा करनी होगी तथा अपना नाम https://www.bankeauctions.com पर पंजीकृत करवाना होगा और यूजर आईडी तथा पासवर्ड निःशुल्क प्राप्त करना होगा और ई–नीलामी पर प्रशिक्षण सेवा प्रदाता से प्राप्त करना होगा। वेबसाइट पर पंजीकरण के बाद, इच्छुक बोलीदाताओं/क्रेताओं को निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतियां अपलोड, ई–मेल करनी होंगी तथा स्व–सत्यापित भौतिक प्रतियां पता : प्रथम तल, सत्या बिजनेस पार्क, 1, नवल किशोर रोड, हजरतगंज, लखनऊ, पिन– 226001 मोबाइल नं. +91 9567626050 ई–मेल आईडी **rahul.r1@grihumhousing.com** को प्रेषित करनी होंगी। नियम एवं शर्तों के अधिक विवरण के लिए तथा ई–नीलामी में भाग लेने के लिए कृपया https://www.bankeauctions.com एवं www.grihumhousing.com देखें।

यह सूचना प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) के तहत कर्जदारों/सह–कर्जदारों/बंधकदाता(ओं)/गारंटर(रों) को 15 दिन का नोटिस भी माना जाएगा।

**किसी भी मामले में यदि स्थानीय भाषा के प्रकाशन और अंग्रेजी समाचार पत्र प्रकाशन की सामग्री के बीच कोई अंतर है, तो फाइनेंशियल एक्सप्रेस में प्रकाशित अंग्रेजी समाचार पत्र भाषा की सामग्री मान्य होगी।**

**दिनांकः 20.11.2025, स्थानः लखनऊ** — हस्ता/– प्राधिकृत अधिकारी गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, (पूर्व में पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड)

---

## ई–नीलामी सूचना

### आईडीबीआई बैंक लिमिटेड

**रिटेल रिकवरी, ग्राउंड फ्लोर, 4/65, पदम सिंह रोड, करोल बाग, नई दिल्ली–110005**

**24 दिसम्बर, 2025 को 11.00 बजे पूर्वा. से 12.00 बजे दोपहर तक आयोजित होने वाली वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई–नीलामी विक्रय सूचना**

एतद्द्वारा जनसामान्य को तथा विशेष रूप से कर्जदार(रों) एवं जमानती(यों) को सूचना दी जाती है कि प्रतिभूत लेनदार (आईडीबीआई बैंक लि.) के पास निम्नलिखित अचल सम्पत्तियाँ/प्रतिभूत आस्तियाँ बन्धककृत/प्रभारित हैं। जबकि प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण की धारा 13(2) के तहत अधिकृत प्राधिकारियों ने नीचे प्रत्येक कर्जदार के सम्मुख विवरणों के अनुसार कर्जदारों/जमानतियों/बंधककर्ताओं (इसके पश्चात कर्जदार कहा जायेगा) से बकायों की वसूली हेतु माँग सूचना निर्गत की है। पुनः संबंधित अधिकृत प्राधिकारियों ने प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण में निहित शक्तियों के उपयोग में निम्नलिखित प्रतिभूत आस्तियों का भौतिक कब्जा कर लिया है। जबकि कर्जदारों से माँग सूचना के अनुसार तथा वसूलियों, यदि कोई हो, को घटाकर बैंक द्वारा व्यय भावी ब्याज, लागतों तथा प्रभारों सहित आईडीबीआई बैंक लि. के बकाया प्रतिभूति ऋणों की वसूली के लिए प्रतिभूत आस्तियों की बिक्री सार्वजनिक ई–नीलामी द्वारा की जायेगी। जनसामान्य को या तो व्यक्तिगत या अधिकृत एजेन्ट के माध्यम से संविदा के लिए आमन्त्रित किया जाता है।

**प्रतिभूत आस्तियों की बिक्री की अनुसूची**

| क्र. सं. | कर्जदार/(सह-कर्जदार)/जमानती का नाम | माँग सूचना की तिथि तथा उसमें उल्लिखित बकाया राशि | प्रतिभूत आस्तियों का विवरण | कब्जे की स्थिति | कब्जे की तिथि | आरक्षित मूल्य ईएमडी बोली वृद्धि | ईएमडी तथा संविदा दस्तावेज जमा करने की अन्तिम तिथि | खाते का विवरण जिसमें आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से ईएमडी जमा करनी है तथा आईएफएससी कोड | अधिकृत प्राधिकारी/नोडल अधिकारी का नाम तथा सम्पर्क नं. नोडल अधिकारी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | मैसर्स महाजन एंड कंपनी, इसके प्रोपराइटर श्री नितिन महाजन एवं श्रीमती रीता महाजन के माध्यम से (बंधककर्ता) | 12.06.2025 तथा रु. 1,88,53,043.00/- तिथि 10.06.2025 तक तथा 11.06.2025 से ब्याज एवं अन्य प्रभार | यूनिट नं. एम–10, न्यू मुल्तान नगर, दूसरी मंजिल छत के अधिकार सहित, दिल्ली–110056 | (भौतिक या सांकेतिक) सांकेतिक | 20.09.2025 | रु. 1,80,00,000/-<br>रु. 18,00,000/-<br>रु. 1,00,000/- | 23.12.2025 | खाता संख्या- 55034915010026 नाम–आईडीबीआई बैंक लिमिटेड. आईएफएससी कोड – IBKL0000550" | सुश्री रंजना प्रसाद 9810449799 तथा संदीप कुमार- - 9771112070 श्री इंद्रपाल सिंह 011-69297163 |

**ई–नीलामी बिक्री के संक्षिप्त नियम एवं शर्तें** : बिक्री प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 में निर्धारित नियम एवं शर्तों के अनुरूप की जायेगी। (1) प्रतिभूत आस्तियों की बिक्री ''जहाँ है जैसे है आधार,'' ''जो है यही है आधार'', ''जो कुछ भी है वहीं है आधार'' तथा ''आश्रय रहित आधार'' पर प्रतिभूत लेनदार अर्थात आईडीबीआई बैंक लि. के लिए तथा उसकी ओर से की जायेगी। (2) यह बिक्री इस विज्ञापन तथा ''संविदा दस्तावेज'' में दिये गये नियमों तथा शर्तों के पूर्णतः अनुरूप की जायेगी। संविदा दस्तावेज हमारे किसी भी कार्यालय से सभी कार्यकारी दिवसों पर प्राप्त किये जा सकते हैं अथवा आईडीबीआई की वेबसाइट अर्थात **www.idbibank.in** तथा **https://www.bankeauction.com** से भी डाउनलोड किये जा सकते हैं। (3) बिक्री ई–नीलामी सेवा प्रदाता सी1 इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से वेबसाइट **https://www.bankeauction.com** पर ई–नीलामी प्लेटफॉर्म पर सम्पन्न होगी। सम्पर्क व्यक्ति : श्री मिथलेश कुमार (**ई–मेल : delhi@c1india.com तथा support@bankeauctions.com** ) या सेल : 7080804466 | दूरभाष : +91–1244302020/2021/2022/2023 (4) अधिकृत प्राधिकारी को यदि स्वीकार्य प्रतीत न हो तो उपर्युक्त किसी संविदा को स्वीकार करने या सभी संविदाओं को अस्वीकार करने या बिना कोई कारण बताए किसी भी समय नीलामी को विलम्बित/निरस्त करने का पूर्ण अधिकार है और इस सम्बन्ध में उसका निर्णय अन्तिम होगा। (5) सफल संविदाकार को जमा की गयी धरोहर राशि सहित बिक्री मूल्य का 25% बिक्री की पुष्टि के समय जमा करना अपेक्षित है। बिक्री मूल्य की शेष राशि बिक्री की पुष्टि के 15 दिनों के भीतर या एओ द्वारा सहमति के अनुसार विस्तारित अवधि के भीतर अदा करनी होगी। निर्धारित अवधि के भीतर शेष राशि जमा करने में असफल होने पर धरोहर राशि सहित जमा की गयी राशि जब्त कर ली जायेगी। (6) 25% संविदा राशि तुरन्त जमा करने तथा अवधान निर्धारित अवधि के भीतर संविदा राशि का शेष 75% जमा करने में चूक करने पर पहले से जमा की गयी राशि जब्त कर ली जायेगी और प्रतिभूत आस्तियों का पुनः विक्रय किया जायेगा। (7) पंजीकरण प्रभार, स्टैम्प शुल्क, कर आदि सहित समस्त विधिक देयताएँ/सहायक प्रभार/अन्य बकायों का वहन क्रेता द्वारा किया जायेगा। अधिक विवरण, सम्पूर्ण नियम एवं शर्तों के लिए कृपया www.idbi.in देखें तथा/अथवा ऊपर प्रत्येक सम्पत्ति के सम्मुख उल्लिखित नोडल अधिकारियों/अधिकृत प्राधिकारी से सम्पर्क करें।

**सरफेसी अधिनियम 2002 के नियम ९(१) एवं ८(६) के तहत 15/30 दिवसीय विधिक बिक्री सूचना**

कर्जदार/जमानतियों को एतद्वारा अपडेटेड ब्याज तथा आनुषंगी व्ययों सहित उपर्युक्त राशि ई-नीलामी तिथि के पूर्व अदा करने के लिए अधिसूचित किया जाता है जिसमें असफल रहने पर सम्पत्ति की नीलामी/बिक्री कर दी जायेगी और शेष बकाये, यदि कोई हो की वसूली ब्याज तथा लागतों सहित की जायेगी।

तिथि : 18.11.2025, स्थान : नई दिल्ली — हस्ता./- अधिकृत प्राधिकारी, आईडीबीआई बैंक लि.